छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक / 91 / रेरा / 2023 / / 1209 रायपुर, दिनाँक 15 / 09 / 2023

/ / परिपत्र / /

विषयः– रियल एस्टेट के रजिस्ट्रीकरण व छ.ग. रेरा में पूर्व से पंजीकृत में अतिरिक्त प्रकटीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भः– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक / 87 / रेरा / 2023 / 949, रायपुर दिनांक 19.07.2023

––00––

प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से छ.ग. रेरा में पंजीकृत ऑनगोईंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एवं नवीन रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन में ब्रोशर व विक्रय के लिए जारी प्रचार सामग्री एवं स्वीकृत ले–आउट अनुसार किए जाने वाले विकास कार्यों और सुविधाओं की लागत के संबंध में प्रमोटर्स / डेव्हलपर्स को अतिरिक्त प्रकटीकरण हेतु परिपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में प्रोजेक्ट की घटकवार वित्तीय योजना की जानकारी त्रैमासिक अद्यतन के साथ व पृथक से प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर दिनांक 15.09.2023 तक अनिवार्यतः प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त संबंध में अधिनियम की धारा–37 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व नियत समयावधि में संशोधन करते हुए दिनांक 15.11.2023 तक वृद्धि की जाती है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंजीयन हेतु प्रस्तुत नवीन आवेदन पत्रों एवं विस्तार हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों के साथ उक्त जानकारी अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।

नोटः– उक्त संशोधित परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

15/9

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण,
रायपुर